कार्यालय, रक्षा लेखा महानियंत्रक

उलन बटार रोड, पालम, दिल्ली छावनी-110010

O/o THE CONTROLLER GENERAL OF DEFENCE ACCOUNTS

Ulan Batar Road, Palam, Delhi Cantt.- 110010

दूरभाष : 011-25665742 फैक्स : 011- 25674806 ई मेल : hindicell.cgda@nic.in

(राजभाषा अनुभाग)

सं. : 0746/हि0क0/हि0प0/मु0का0 दिनांक : 16 अगस्त, 2023

सेवा में

प्रधान लेखा नियंत्रक(फै0)/

सभी रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक/रक्षा लेखा नियंत्रक

विषय : हिंदी दिवस/पखवाड़े के अवसर पर रक्षा लेखा विभाग के कार्यालयों में हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन।

संदर्भ : रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय का दिनांक 16 जून, 2023 का पत्र सं. 550181/ हिं.क./न.रा.का.स./2023

****

केन्द्र सरकार के कार्यालयों में अधिकारियों/कर्मचारियों में राजभाषा हिंदी के प्रति जागरूकता तथा उसके उत्तरोत्तर प्रयोग में गति लाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष हिंदी दिवस/हिंदी सप्ताह/हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में रक्षा लेखा विभाग भी अपने कार्मिकों को हिंदी में कार्य निष्पादित करने तथा राजभाषा के प्रति रुचि जागृत करने हेतु सितम्बर माह में प्रतियोगिताओं का आयोजन करता आया है।

इस संबंध में उक्त संदर्भित पत्र के अंतर्गत प्रेषित भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, रक्षा विभाग के 14 जून, 2023 के पत्र सं, 20(4)/2023(रा.भा.1) के अंतर्गत प्राप्त भारत सरकार, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की सचिव (Secretary) सुश्री अंशुली आर्या का दिनांक 01 जून, 2023 का अ.शा.पत्र सं. 11034/06/2023-रा.भा. (नीति) का अवलोकन करें जिसके अंतर्गत सूचित किया गया है कि हिंदी दिवस का शुभारंभ 14 सितम्बर 2023 को पुणे (महाराष्ट्र) से हो और समापन 29 सितम्बर, 2023 को संबंधित कार्यालय में हो।

आपसे अनुरोध है कि उक्त पत्रों में निहित निदेशों का पालन करते हुए अपने कार्यालय में हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया जाए और इसमें भाग लेने के लिए अधिकाधिक कार्मिकों को प्रोत्साहित करें ताकि कार्यालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन के लिए उत्साहवर्धक वातावरण बनाया जा सके।

प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करने के लिए सभी विजेताओं को पुरस्कृत किए जाने हेतु संबंधित कार्यालयों को उपयुक्त राशि भी स्वीकृत की जाए। हिंदी पखवाड़े के आयोजन के उपरांत आयोजन संबंधी एक रिपोर्ट मुख्यालय कार्यालय को अवश्य प्रेषित करने का कष्ट करें। कृपया पावती दें।

रक्षा लेखा वरिष्ठ सहायक महानियंत्रक(प्रशा.) महोदय के अनुमोदन से जारी।

पंकज

(पंकज कुमार)

व० लेखा अधिकारी (राजभाषा)

फा.सं. 20(4)/2023-रक्षा (रा.भा.1)
रक्षा मंत्रालय
राजभाषा प्रभाग

सेवा में,

रक्षा मंत्रालय के सभी सैन्य मुख्यालय तथा अंतर सेवा संगठन ।

विषयः 14-15 सितंबर, 2023 को पुणे (महाराष्ट्र) में हिंदी दिवस, तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन एवं वर्ष 2023 के हिंदी पखवाड़ा के आयोजन के संबंध में ।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय पर संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग के अ.शा. पत्र सं. 11034/06/2023-राजभाषा (नीति) दिनांक 07.06.2023 (प्रति संलग्न) की प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजने का निदेश हुआ है ।

2. अनुरोध है कि राजभाषा विभाग द्वारा दिए गए निदेशानुसार इस वर्ष हिंदी दिवस/ हिंदी पखवाड़ा का आयोजन करें और अधिकारियों/अनुवादकों एवं कुछ अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को पुणे में होने वाले हिंदी दिवस एवं तीसरे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में अनिवार्य रूप से सम्मिलित होने का निर्देश दें ।

3. संबंधित विस्तृत जानकारी राजभाषा विभाग की वेबसाइट rajbhasha.gov.in से प्राप्त की जा सकती है ।

14/6/23
(नरेन्द्र नाथ त्रिपाठी)
उप निदेशक (राजभाषा)
दूरभाषः 23019547

अंशुली आर्या, आई.ए.एस.
सचिव
ANSHULI ARYA, I.A.S.
Secretary

सत्यमेव जयते

आज़ादी का अमृत महोत्सव

भारत सरकार
राजभाषा विभाग
गृह मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

अ.शा. पत्र सं 11034/06/2023-राजभाषा (नीति) दिनांक : 01 जून, 2023

आदरणीय महोदय / महोदया

विषयः 14-15 सितंबर, 2023 को पुणे (महाराष्ट्र) में हिंदी दिवस, तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन एवं वर्ष 2023 के हिंदी पखवाड़ा के आयोजन के संबंध में।

माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी की अध्यक्षता में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा हिंदी दिवस 2022 एवं द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का भव्य आयोजन सूरत, गुजरात में किया गया था। दो दिवसीय इस अत्यंत सफल आयोजन में देश भर के 10 हजार से ज्यादा हिंदी सेवियों ने प्रतिभागिता की। राजभाषा विभाग द्वारा किया गया यह आयोजन संविधान सभा द्वारा सौंपे गए संवैधानिक उत्तरदायित्वों और संविधान की भावना के अनुरूप तथा प्रेरणा, प्रोत्साहन और सद्भावना की नीति के साथ, राजभाषा हिंदी का प्रचार-प्रसार करने और इसके प्रयोग को बढ़ाने का प्रयास था।

2. पिछले वर्ष की भाँति, इस वर्ष भी हिंदी-दिवस एवं तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का संयुक्त आयोजन अत्यन्त भव्य एवं गरिमामयी रूप में किया जाएगा। **माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी की अध्यक्षता में 14 सितंबर, 2023 को हिंदी दिवस तथा 14 एवं 15 सितंबर, 2023 को तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का सम्मिलित आयोजन पुणे (महाराष्ट्र) में होगा।**

3. हिंदी का उत्साहवर्धक वातावरण सृजित करने और इस कार्यक्रम में माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति को देखते हुए, अनुरोध है कि सभी मंत्रालय/विभाग/संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय/बैंक/उपक्रम/निगम/बोर्ड आदि हिंदी पखवाड़ा कार्यक्रम 14 से 29 सितंबर के दौरान ही मनाना सुनिश्चित करें और विभिन्न प्रतियोगिताएं इसी अवधि के दौरान आयोजित करें। कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार बनाई जाए कि प्रत्येक कार्यालय के **हिंदी दिवस का शुभारंभ 14 सितंबर, 2023 को पुणे, महाराष्ट्र से हो और समापन 29 सितंबर, 2023 को संबंधित कार्यालय में हो।** मंत्रालयों/विभागों आदि में हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिताएं 16 सितंबर के बाद संपन्न कराई जाएं। अपरिहार्य स्थिति में ये प्रतियोगिताएं 1 से 13 सितंबर, 2023 के मध्य आयोजित की जा सकती हैं। मंत्रालय /विभाग/संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय/बैंक/उपक्रम/निगम/बोर्ड इत्यादि अपनी सुविधानुसार इस अवधि के उपरांत हिंदी माह भी आयोजित कर सकते हैं। इस दौरान इस तरह के आयोजन किए जाएं, जो अधिकारियों और कर्मचारियों को हिंदी भाषा के लिए प्रोत्साहित करें। इसके अतिरिक्त कार्यक्रमों का यह भी उद्देश्य होना चाहिए कि हिंदी में मौलिक कार्य जैसे टिप्पणी, मसौदे एवं पत्राचार को बढ़ाया जा सके।

4. सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा सभी कार्मिकों को राजभाषा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियम, 1976, राजभाषा संकल्प, 1968 और समय समय पर राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा नीति से संबंधित जारी दिशा-निर्देशों से अवगत करवाया जाए। साथ ही सरकारी कार्य में सरल और सहज हिंदी के प्रयोग पर विशेष बल दिया जाए। वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में राजभाषा नीति जो कि, प्रेरणा, प्रोत्साहन एवं सद्भावना पर आधारित है, के संबंध में चर्चा की जाए। अधिकारियों/कार्मिकों को स्वदेशी सॉफ्टवेयर 'कंठस्थ 2.0' के अधिकाधिक प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाए। यह भी उल्लेखनीय है कि राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार केंद्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रमुख का यह उत्तरदायित्व है कि वे राजभाषा अधिनियम, नियम तथा इनके अंतर्गत समय समय पर जारी किए जाने वाले दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं।

5. आपसे अनुरोध है कि अपने मंत्रालय/विभाग के राजभाषा से जुड़े सभी अधिकारियों/अनुवादकों एवं मंत्रालय के कुछ अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को पुणे में होने वाले हिंदी दिवस एवं तीसरे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में अनिवार्य रूप से सम्मिलित होने का निर्देश दें (संबंधित विस्तृत जानकारी राजभाषा विभाग की साइट rajbhasha.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।) कृपया सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों /बैंकों/उपक्रमों/बोर्डों/निगमों आदि को भी ऐसे ही निर्देश मंत्रालय की ओर से जारी किए जाएं। उनके राजभाषा अधिकारी भी अनिवार्य रूप से 14-15 सितंबर, 2023 को पुणे, महाराष्ट्र में होने वाले कार्यक्रम में सहभागिता सुनिश्चित करें।

सादर

शुभेच्छु,

अ आर्या 1/6

(अंशुली आर्या)

<u>भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव</u>

सं. 12016/09/2023-रा.भा.(का.2)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग (का.2)
***

एनसी.सी.डी..।। भवन-,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली110001-,
दिनांक: 13 जून, 2023

कार्यालय ज्ञापन

राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय अपने संवैधानिक दायित्वों के अन्तर्गत केंद्रीय सरकार के कार्यालयों/विभागों/उपक्रमों/बैंकों आदि में राजभाषा हिंदी के प्रसार और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी की अध्यक्षता में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा हिंदी दिवस-2022 एवं द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का भव्य आयोजन सूरत, गुजरात में किया गया था। दो दिवसीय इस अत्यंत सफल आयोजन में देश भर के लगभग 10 हजार से ज्यादा हिंदी सेवियों ने प्रतिभागिता की।

2. पिछले वर्ष की भांति, इस वर्ष भी हिंदी दिवस एवं तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का संयुक्त आयोजन माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी की अध्यक्षता में अत्यन्त भव्य एवं गरिमामयी स्वरूप में पुणे (महाराष्ट्र) में किया जाएगा। यह संयुक्त आयोजन 14-15 सितंबर, 2023 को श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स, बालेवाड़ी, पुणे में होगा ।

3. माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी की अध्यक्षता में होने वाले हिंदी दिवस एवं तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के विभिन्न सत्रों में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग की स्थिति और बेहतर करने के बारे में चर्चा की जाएगी। अतः केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों/नराकास (अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव) आदि से अपेक्षा है कि वे इस सम्मेलन में अधिकाधिक संख्या में प्रतिभागी भेजकर आयोजन को सफल बनाएं।

4. इस सम्मेलन में प्रतिभागियों के टी.ए./डी.ए. का वहन संबंधित मंत्रालय/कार्यालय/संगठन द्वारा सरकारी नियमानुसार किया जाएगा। प्रतिभागियों को अपने ठहरने की व्यवस्था भी स्वयं करनी होगी।

5. उक्त सम्मेलन में राजभाषा से जुड़े सभी कार्मिकों और राजभाषा का काम देख रहे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाए।

6. सम्मेलन में प्रतिभागिता हेतु अपना पंजीकरण (निःशुल्क) राजभाषा विभाग की वेबसाइट rajbhasha.gov.in पर दिए गए लिंक https://164.100.54.224/dolregister से करना आवश्यक है।

अनिल कुमार

(अनिल कुमार)
उप सचिव(कार्यान्वयन)
फोन: 011-23438129

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/बैंक/उपक्रम/नराकास/स्वायत्त संस्थान/संवैधानिक निकाय आदि।

सूचना का
अधिकार

भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
रक्षा विभाग
नई दिल्ली - 110 011
Government of India
Ministry of Defence
Department of Defence
New Delhi - 110 011

डी.के.राय
संयुक्त सचिव (स्थापना)

अ.शा. पत्र सं. 20(4)2023-रक्षा (रा.भा.1) दिनांक 19.07.2023

आदरणीय महोदय,

राजभाषा विभाग द्वारा पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी हिंदी दिवस एवं तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का संयुक्त आयोजन अत्यंत भव्य एवं गरिमामयी रूप में माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 14 एवं 15 सितंबर, 2023 को श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, बालेवाड़ी, पुणे, महाराष्ट्र में किया जाएगा। इस संबंध में सचिव (राजभाषा) की ओर से प्राप्त पत्र में यह अनुरोध किया गया है कि राजभाषा से जुड़े अधिकारियों/अनुवादकों को पुणे में होने वाले राजभाषा सम्मेलन में अनिवार्य रूप से सम्मिलित होने का निदेश दिया जाए (पत्र की प्रति संलग्न)।

2. मैं आभारी रहूंगा कि यदि आप कार्यक्रम के महत्व तथा राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए निदेशों के मद्देनजर अपने कार्यालय के राजभाषा से जुड़े अधिकारियों को पुणे में होने वाले राजभाषा सम्मेलन में अनिवार्य रूप से सम्मिलित होने के लिए निदेश देंगे।

सादर,

भवदीय,

(डी. के. राय)

सेवा में,

रक्षा विभाग के सभी अंतर-सेवा संगठन (संलग्न सूची के अनुसार)।